FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ————अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02———मुकाम किशनगढ़

कालूराम ——बनाम—— **राजेंद्र वगैरह**

किस्म मुकदमा —— दीवानी वाद संख्या 20/2015 (103/2021) ———

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-11-2025	वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। इस आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 दीपचंद की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 37 राजस्थान स्टांप एक्ट दिनांक 31.05.2025 का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुनः सुनवाई कर निस्तारण किया जा रहा हैं तथा साथ ही प्रार्थी दीपचंद द्वारा उक्त आदेश के अनुक्रम मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.10.2025 का संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्रों बाबत उभय पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 31.05.2025 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिसमे यह निवेदन किया गया था कि प्रश्नगत इकरारनामा की भूमि दिनांक 20.10.2016 के इकरारनामे मे शामिल होकर दोनो भूमिया खसरा संख्या 104 की 6 बीघा 5 बीस्वा एवं खसरा नंबर 105 की 6 बीघा 5 बीस्वा कुल 12 बीघा 10 बीस्वा भूमि का वादी व प्रतिवादी के मध्य दिनांक 20.10.2016 को नया इकरारनामा राशि 1,06,51,000 रूपये मे निष्पादित किया इस प्रकार से इकरारनाम दिनांक 27.01.2014 को खसरा संख्या 104 की 6 बीघा 5 बीस्वा भूमि का नवीनीकरण कर दिया है। उक्त इकरारनामा दिनांक 20.10.2016 को द्वितीय साक्ष्य के रूप मे पेश करने हेतु प्रतिवादीगण को अनुमति प्रदान की गई है। दिनांक 31.05.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2025 को खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय सिविल रिट याचिका प्रस्तुत की गई जो दिनांक 13.10.2025 को निस्तारित करते हुए पूर्व आदेश को अपास्त करते हुए प्रकरण को नवीन न्यायनिर्णन करने के निर्देश के साथ रिमांड बैक किया। धारा 39 ई राजस्थान स्टांप एक्ट मे दस्तावेज की फोटोकॉपी को इम्पाउंड करने का प्रावधान है अतः उक्त प्रावधानो कीरोशनी मे दिनांक 31.05.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुनः कंसीडर करने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नही किया गया। अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि दस्तावेज फोटोप्रति है जिसे इंपाउंड नही किया जा सकता है अतः विधिसम्मत आदेश पारित करने का निवेदन किया। उभयपक्षो को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। माननीय राजस्थान	

28/11/25

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-03
किशनगढ़ (अजमेर)

उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा एसबी सिविल रिट पीटिशन नंबर 12345/25 दीपचंद वगैरह बनाम कालूराम यादव मे पारित आदेश दिनांक 13.10.2025 का ससम्मान अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा उक्त आदेश मे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2025 को धारा 37 राजस्थान स्टांप एक्ट 1998 के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश को धारा 39ई राजस्थान स्टांप एक्ट के आलोक मे नवीन न्यायनिर्णन हेतु प्रकरण को रिमांड बैक किया तथा उक्त आदेश दिनांक 05.07.2025 को अपास्त किया है अतः माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उभयपक्षो को प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 31.05.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में पुनः सुना गया। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 31.05.2025 मे प्रतिवादीगण ने कथन किया है कि प्रकरण में दिनांक 09.04.2025 को प्रतिवादी द्वारा विक्रय इकरारनामा दिनांक 20.10.2016 पर प्रदर्श डालना चाहा तब वादी द्वारा यह आपत्ति की गई कि उक्त दस्तावेज स्टांपयुक्त नही है। दस्तावेज न्यायालय की अनुमति से पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया हैं। द्वितीय साक्ष्य में पेश करने की अनुमति भी दी गई। उक्त दस्तावेज को धारा 37 राज. स्टांप एक्ट के स्टांपित किया जाना आवश्यक है। दस्तावेज दिनांक 20.10.2016 की मालियत एक करोड छ लाख इक्यावन हजार रूपये हैं। इस दस्तावेज मे विवादित भूमि खसरा सं 104 की 6 बीघा 5 बीस्वा व इसके पास स्थित खसरा संख्या 105 की 1 हैक्टेयर भूमि को विक्रय करने का अंकन है। खसरा संख्या 104 के संबंध में स्टांप भी अदा की जा चुकी हैं। पुनः स्टांप डयूटी की आवश्यकता नही है अतः शेष राशि 61 लाख 51 हजार रूपये पर ही स्टांप डयूटी दी जानी है अतः दस्तावेज इकरारनामा इम्पाउन्ड किया जाकर स्टांप डयूटी जमा कराने हेतु प्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध मे माननीय न्यायालय के आदेशानुसार धारा 39ई राजस्थान स्टांप एक्ट का अवलोकन किया गया जिसमे यह उपबंधित है कि इसमे निहित कोई बात किसी भी लिखित की प्रतिलिपि या किसी लिखित की विषयवस्तु के मौखिक विवरण को स्वीकार करने से नही रोकेगी। यदि खंड ए मे निर्दिष्ट स्टांपशुल्क या स्टांपशुल्क और दंड का एक छोटा हिस्सा भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार उक्त माननीय न्यायालय के आदेश मे न्यायिक दृष्टांत महावीर प्रसाद बनाम सायरा देवी एसबी सिविल रिट पीटिशन नंबर 4918/2015 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने पैरा 21 मे यह अभिनिर्धारित किया है कि उपरोक्त विशिष्ट प्रावधान के मध्यनजर जुपदी(सुप्रा) के मामले मे निर्धारित कानून लागू नही होता है क्योंकि उक्त निर्णय भारतीय स्टांप अधिनियम 1899 की धारा 35 के प्रावधानो पर आधारित है जिसमे परंतु ई जैसा प्रावधान नही है। उक्त निर्णय मे माननीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि लिखित की प्रति पर कम स्टांप शुल्क का भुगतान करने का आदेश नही दिया जा सकता, कायम नही रखने का आदेश दिया अतः उक्त विधिक प्रावधानो व न्यायिक दृष्टांत के आलोक मे हस्तगत प्रकरण मे प्रतिवादी द्वारा जिस दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 20.10.2016 को पर्याप्त स्टांप ड्यूटी के लिये इम्पाउंड करने का निवेदन किया है। उक्त दस्तावेज फोटोप्रति है परंतु उक्त विधिक प्रावधान व न्यायिक दृष्टांत के आलोक

8/11/25

अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-03
किशनगढ़ (अजमेर)

मे उक्त दस्तावेज को पर्याप्त स्टांप ड्यूटी के निर्धारण एवं अदायगी हेतु इंपाउंड किया जाकर वास्ते उक्त कार्यवाही कलेक्टर मुद्रांक अजमेर को प्रेषित किया जाना न्यायोचित्त है। परंतु प्रतिवादी ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में उक्त दस्तावेज दिनांक 20.10.2016 के दस्तावेज मे विवादित भूमि खसरा संख्या 104 व 105 मे से 104 के इकरारनामा पर 45 लाख रूपये की स्टांप ड्यूटी अदा किये जाने से इस राशि पर पुनः स्टांप ड्यूटी जमा करवाने की आवश्यकता नही होने तथा 1,06,51,000 रूपये की राशि मे से 45 लाख रूपये कम करने के बाद 61 लाख 51 हजार रूपये पर ही स्टांप ड्यूटी जमा करवाने हेतु दस्तावेज को इंपाउन्ड करवाने का निवेदन किया गया है तो इस संबंध मे उक्त दस्तावेज दिनांक 20.10.2016 पर कितनी स्टांप ड्यूटी निर्धारित कर अदा की जानी है यह निर्णय कलेक्टर मुद्रांक के द्वारा ही किया जाना है, न्यायालय के द्वारा किसी विशिष्ट राशि को अभिनिर्धारित करते हुए उसपर स्टांप ड्यूटी जमा करवाने के लिए कलेक्टर स्टांप को निर्देशित नही किया जा सकता, इंपाउंड किये गये दस्तावेज इकरारनामा दिनांक 20.10.2016 पर कितनी स्टांप ड्यूटी निर्धारित की जानी है, तथा कितनी पैनल्टी अधिरोपित होनी है, इस संबंध मे कलेक्टर स्टांप ही कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है अत : ऐसी स्थिति मे किसी विशिष्ट राशि के लिए स्टांप ड्यूटी जमा कराने का आदेश कलेक्टर स्टांप को नही दिया जा सकता है। अतः प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज दिनांक 20.10.2016 को पर्याप्त स्टांप ड्यूटी के निर्धारण व अदायगी हेतु उक्त दस्तावेज कलेक्टर मुद्रांक अजमेर को प्रेषित किया जावे। प्रकरण न्यायालय के लक्षित प्रकरणो मे से एक होकर अत्यधिक पुराना है अतः उक्त दस्तावेज कलेक्टर मुद्रांक को प्रेषित करने हेतु प्रतिवादी को नियमानुसार दस्ती दिया जावे। प्रतिवादी उक्त दस्तावेज को कलेक्टर मुद्रांक अजमेर के कार्यालय मे जमा करवाकर रसीद न्यायालय को आगामी पेशी पर पेश करे। प्रार्थना पत्र एतद्द्वारा निस्तारित किये जाते है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी/अग्रिम कार्यवाही दिनांक 05.12.2025 को पेश हों।

28/11/25

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02
किशनगढ़ (अजमेर)